मध्यप्रदेश शासन
आयुष विभाग
मंत्रालय, वल्लभ–भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 06/09/2018

क्रमांक एफ 02–08/2016/1/59 : मंत्रि–परिषद् निर्णय दिनांक 01.12.2016 के अनुक्रम में विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27.01.2017 के द्वारा एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–सह आयुर्वेद औषधालय में पदस्थ नव–नियुक्त आयुर्वेद चिकित्सकों को एलोपैथी के माध्यम से चिकित्सा किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। इसमें आदेशित किया गया कि इन एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह–स्थापित आयुर्वेद औषधालयों में पदस्थ "प्रायमरी हेल्थ केयर ट्रेनिंग" मॉड्यूल में प्रशिक्षित आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी तथा एलोपैथी संबंधी सेवायें निर्धारित दवाईयों की सीमा तक ही दी जा सकेगी। यह एलोपैथी संबंधी सेवायें उपरोक्त मॉडयूल में प्रशिक्षित आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा केवल एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह–आयुर्वेद औषधालयों में पदस्थापना की अवधि में ही दी जायेगी।

2/– उपरोक्त संबंधी निर्देश के प्रकाश में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि विभाग के उक्त समसंख्यक आदेश द्वारा जारी निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। आयुर्वेद चिकित्सक एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह–आयुर्वेद औषधालय में पदस्थापना अवधि के दौरान ही एलोपैथी चिकित्सक की अनुपलब्धता होने पर ही निर्धारित सीमा तक एलोपैथी दवाईयों के माध्यम से चिकित्सा कर सकेंगे। मॉडयूल परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् भी आयुर्वेद चिकित्सक उक्त पदस्थापना से हटकर पदस्थ होने एवं प्रायवेट प्रैक्टिस हेतु एलोपैथी चिकित्सा हेतु अधिकृत नहीं होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ0एस.एस.कुमरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

निरन्तर––2//

पृ. कमांक एफ 02–08/2016/1/59 भोपाल, दिनांक 06/09/2018

प्रतिलिपिः–

1– विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, म.प्र. शासन, आयुष विभाग, भोपाल।

2– स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, आयुष विभाग, मंत्रालय।

3– स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लो.स्वा.एवं परिर.क.विभाग, मंत्रालय,भोपाल।

4– आयुक्त, संचालनालय, आयुष सतपुडा भवन भोपाल।

5– आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, सतपुडा भवन भोपाल।

6– समस्त प्रधानाचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय मध्यप्रदेश।

7– समस्त संभागीय आयुष अधिकारी, मध्यप्रदेश।

8– समस्त जिला आयुष अधिकारी, मध्यप्रदेश।

9– संबंधित प्रशिक्षित डॉक्टर ------------------------ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की ओर पालनार्थ। सुलभ संदर्भ हेतु लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश दिनांक 01.03.2017 की प्रति संलग्न है।

10– आदेश नस्ती।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग